सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची 1 -- संघ सूची

1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों ।

2. नौसेना, सेना और वायुसेना ; संघ के अन्य सशस्त्र बल ।

[1][2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व ।]

3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है) ।

4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म ।

5. आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक ।

6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत ।

7. संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग ।

8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो ।

9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ; इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति ।

10. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है ।

11. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ ।

13. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन ।

15. युद्ध और शांति ।

16. वैदेशिक अधिकारिता ।

17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय ।

18. प्रत्यर्पण ।

19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा ।

20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं ।

21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध; स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध ।

22. रेल ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977) से अन्तःस्थापित ।

SEVENTH SCHEDULE

(Article 246)

List I—Union List

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation.

2. Naval, military and air forces; any other armed forces of the Union.

[1][2A. Deployment of any armed force of the Union or any other force subject to the control of the Union or any contingent or unit thereof in any State in aid of the civil power; powers, jurisdiction, privileges and liabilities of the members of such forces while on such deployment.]

3. Delimitation of cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of cantonment authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.

4. Naval, military and air force works.

5. Arms, firearms, ammunition and explosives.

6. Atomic energy and mineral resources necessary for its production.

7. Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defence or for the prosecution of war.

8. Central Bureau of Intelligence and Investigation.

9. Preventive detention for reasons connected with Defence, Foreign Affairs, or the security of India; persons subjected to such detention.

10. Foreign affairs; all matters which bring the Union into relation with any foreign country.

11. Diplomatic, consular and trade representation.

12. United Nations Organisation.

13. Participation in international conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

14. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries.

15. War and peace.

16. Foreign jurisdiction.

17. Citizenship, naturalisation and aliens.

18. Extradition.

19. Admission into, and emigration and expulsion from, India; passports and visas.

20. Pilgrimages to places outside India.

21. Piracies and crimes committed on the high seas or in the air; offences against the law of nations committed on land or the high seas or in the air.

22. Railways.

---

[1] Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन जो संसद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम ।

25. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अतंर्गत ज्वारीय जल में पोत परिवहन और नौपरिवहन है ; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

26. प्रकाशस्तंभ, जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोतपरिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है ।

27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां हैं ।

28. पत्तन कंरतीन, जिसके अंतर्गत उससे संबद्ध अस्पताल हैं ; नाविक और समुद्रीय अस्पताल ।

29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।

31. डाक-तार; टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन ।

32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी [1]* * * राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए ।

[2]* * * * * *

34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण ।

35. संघ का लोक ऋण ।

36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा ।

37. विदेशी ऋण ।

38. भारतीय रिजर्व बैंक ।

39. डाकघर बचत बैंक ।

40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी ।

41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात ; सीमाशुल्क सीमांतों का परिनिश्चय ।

42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 33 को लोप किया गया ।

23. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

24. Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways.

25. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and regulation of such education and training provided by States and other agencies.

26. Lighthouses, including lightships, beacons and other provision for the safety of shipping and aircraft.

27. Ports declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports, including their delimitation, and the constitution and powers of port authorities therein.

28. Port quarantine, including hospitals connected therewith; seamen's and marine hospitals.

29. Airways; aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training and regulation of such education and training provided by States and other agencies.

30. Carriage of passengers and goods by railway, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

31. Posts and telegraphs; telephones, wireless, broadcasting and other like forms of communication.

32. Property of the Union and the revenue therefrom, but as regards property situated in a State [1]*** subject to legislation by the State, save in so far as Parliament by law otherwise provides.

[2]* * * * *

34. Courts of wards for the estates of Rulers of Indian States.

35. Public debt of the Union.

36. Currency, coinage and legal tender; foreign exchange.

37. Foreign loans.

38. Reserve Bank of India.

39. Post Office Savings Bank.

40. Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State.

41. Trade and commerce with foreign countries; import and export across customs frontiers; definition of customs frontiers.

42. Inter-State trade and commerce.

43. Incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations, but not including co-operative societies.

---

[1] The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule but” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch

[2] Entry 33 omitted by s. 26, *ibid*.

44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

45. बैंककारी ।

46. विनिमय-पत्र, चेक, बचत पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें ।

47. बीमा ।

48. स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार ।

49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न ।

50. बाटों और मापों के मानक नियत करना ।

51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना ।

52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है ।

53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं ।

54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे ।

55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।

56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे ।

57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र ।

58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनिमयन और नियंत्रण ।

59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ।

60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ।

61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद ।

62. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था ।

63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और [1][दिल्ली विश्वविद्यालय] नामों से ज्ञात संस्थाएं; [1][अनुच्छेद 371ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;] संसद् द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था ।

64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं ।

65. संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो--

---

[1] संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 द्वारा (1-4-1974 से) " दिल्ली विश्वविद्यालय और " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

44. Incorporation, regulation and winding up of corporations, whether trading or not, with objects not confined to one State, but not including universities.

45. Banking.

46. Bills of exchange, cheques, promissory notes and other like instruments.

47. Insurance.

48. Stock exchanges and futures markets.

49. Patents, inventions and designs; copyright; trade-marks and merchandise marks.

50. Establishment of standards of weight and measure.

51. Establishment of standards of quality for goods to be exported out of India or transported from one State to another.

52. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

53. Regulation and development of oilfields and mineral oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable.

54. Regulation of mines and mineral development to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

55. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.

56. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

57. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

58. Manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies; regulation and control of manufacture, supply and distribution of salt by other agencies.

59. Cultivation, manufacture, and sale for export, of opium.

60. Sanctioning of cinematograph films for exhibition.

61. Industrial disputes concerning Union employees.

62. The institutions known at the commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial and the Indian War Memorial, and any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

63. The institutions known at the commencement of this Constitution as the Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University and the [1][Delhi University; the University established in pursuance of article 371E;] any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

64. Institutions for scientific or technical education financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

65. Union agencies and institutions for—

---

[1] Subs. by the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, s. 4, for "Delhi University and" (w.e.f. 1-7-1974).

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है ; या

(ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं ; या

(ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं ।

66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण ।

67. [1][संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के [1][घोषित] प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।

68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संगठन ।

69. जनगणना ।

70. संघ लोक सेवाएं; अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग ।

71. संघ की पेंशनें, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें ।

72. संसद् के लिए, राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग ।

73. संसद् सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ।

74. संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद् की समितियों या संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।

75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें ।

76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा ।

77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां (जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन [2][(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है)] ; उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।

[3][79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन ।]

80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके ; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण ।

81. अंतरराज्यिक प्रव्रजन ; अंतरराज्यिक करंतीन ।

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 12 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

[3] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 79 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(a) professional, vocational or technical training, including the training of police officers; or

(b) the promotion of special studies or research; or

(c) scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime.

66. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

67. Ancient and historical monuments and records, and archaeological sites and remains, [1][declared by or under law made by Parliament to be of national importance.

68. The Survey of India, the Geological, Botanical, Zoological and Anthropological Surveys of India; Meteorological organisations.

69. Census.

70. Union Public Service; All-India Services; Union Public Service Commission.

71. Union pensions, that is to say, pensions payable by the Government of India or out of the Consolidated Fund of India.

72. Elections to Parliament, to the Legislatures of States and to the offices of President and Vice-President; the Election Commission.

73. Salaries and allowances of members of Parliament, the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.

74. Powers, privileges and immunities of each House of Parliament and of the members and the Committees of each House; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of Parliament or commissions appointed by Parliament.

75. Emoluments, allowances, privileges, and rights in respect of leave of absence, of the President and Governors; salaries and allowances of the Ministers for the Union; the salaries, allowances, and rights in respect of leave of absence and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General.

76. Audit of the accounts of the Union and of the States.

77. Constitution, organisation, jurisdiction and powers of the Supreme Court (including contempt of such Court), and the fees taken therein; persons entitled to practise before the Supreme Court.

78. Constitution and organisation [2][(including vacations)] of the High Courts except provisions as to officers and servants of High Courts; persons entitled to practise before the High Courts.

[3][79. Extension of the jurisdiction of a High Court to, and exclusion of the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.]

80. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to any area outside that State, but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside that State.

81. Inter-State migration; inter-State quarantine.

---

[1] Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law.
[2] Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 12 (with retrospective effect).
[3] Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for entry 79.

82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर ।

83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है ।

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत--

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, नहीं हैं ; किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है ।

85. निगम कर ।

86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर ; कंपनियों की पूंजी पर कर ।

87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क ।

88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।

89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर ; रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर ।

90. स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर ।

91. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर ।

92. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर ।

[1][92क. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।]

[2][92ख. माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यपार या वाणिज्य के दौरान होता है ।]

[3][92ग. सेवाओं पर कर ।]

93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरूद्ध अपराध ।

94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े ।

95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ; नावधिकरण विषयक अधिकारिता ।

96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है ।

---

[1] संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 द्वारा (2-2-1983 से) अंतःस्थापित ।

[3] संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा प्रवर्तन की तारीख से अंतःस्थापित ।

82. Taxes on income other than agricultural income.

83. Duties of customs including export duties.

84. Duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in India except—

(*a*) alcoholic liquors for human consumption;

(*b*) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics,

but including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (*b*) of this entry.

85. Corporation tax.

86. Taxes on the capital value of the assets, exclusive of agricultural land, of individuals and companies; taxes on the capital of companies.

87. Estate duty in respect of property other than agricultural land.

88. Duties in respect of succession to property other than agricultural land.

89. Terminal taxes on goods or passengers, carried by railway, sea or air; taxes on railway fares and freights.

90. Taxes other than stamp duties on transactions in stock exchanges and futures markets.

91. Rates of stamp duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts.

92. Taxes on the sale or purchase of newspapers and on advertisements published therein.

[1][92A. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

[2][92B. Taxes on the consignments of goods (whether the consignment is to the person making it or to any other person), where such consignment takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

93. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

94. Inquires, surveys and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

95. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List; admiralty jurisdiction.

96. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists.

---

[1] Ins. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2.
[2] Ins. by the Constitution (Forty-sixth Amendment) Act, 1982, s. 5 (w.e.f. 2-2-1983).

सूची 2--राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए [1][नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग] नहीं है) ।

[2][2. सूची 1 की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है)।]

3. [1]* * * उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया ; उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस ।

4. कारागार, सुधारालय, बौर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव ।

5. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन-बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।

6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय ।

7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं ।

8. मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय ।

9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता ।

10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शव-दाह और श्मशान ।

[2]* * * * *

12. राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; [5][संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के [5][घोषित किए गए] प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख ।

13. संचार, अर्थात् सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं; नगरपालिक ट्राम; रज्जुमाग; अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात; यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान ।

14. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है ।

15. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण ; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण ।

17. सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति ।

18. भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण ; कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण; भूमि विकास और कृषि उधार ; उपनिवेशन ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

List II—State List

1. Public order (but not including [1][the use of any naval, military or air force or any other armed force of the Union or of any other force subject to the control of the Union or of any contingent or unit thereof in aid of the civil power).

[2][2. Police (including railway and village police) subject to the provisions of entry 2A of List I.]

3. [3]***Officers and servants of the High Court; procedure in rent and revenue courts; fees taken in all courts except the Supreme Court.

4. Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other States for the use of prisons and other institutions.

5. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, districts boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.

6. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.

7. Pilgrimages, other than pilgrimages to places outside India.

8. Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.

9. Relief of the disabled and unemployable.

10. Burials and burial grounds; cremations and cremation grounds.

[4]* * * * *

12. Libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the State; ancient and historical monuments and records other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance.

13. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries, and other means of communication not specified in List I; municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III with regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled vehicles.

14. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.

15. Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

16. Pounds and the prevention of cattle trespass.

17. Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

18. Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization.

---

[1] Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 for certain words (w.e.f. 3-1-1977).
[2] Subs. by s. 57, *ibid*., for entry 2 (w.e.f. 3-1-1977).
[3] Certain words omitted by s. 57, *ibid*. (w.e.f. 3-1-1977).
[4] Entry 11 omitted by s. 57, *ibid*. (w.e.f. 3-1-1977).

[1]* * * * *

21. मत्स्यिकी ।

22. सूची 1 की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण ; विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा ।

23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास ।

24. सूची 1 की [2][प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग ।

25. गैस और गैस संकर्म ।

26. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य ।

27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।

28. बाजार और मेले ।

[3]* * * * * *

30. साहूकारी और साहूकार; कृषि ऋणिता से मुक्ति ।

31. पांथशाला और पांथशालापाल ।

32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न हैं और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियां और संगम; सहकारी सोसाइटियां।

33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन; सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा; खेलकूद, मनोरंजन और आमोद ।

34. दांव और द्यूत ।

35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन ।

[4]* * * * *

37. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन ।

38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।

39. विधान सभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।

40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते ।

41. राज्य लोक सेवाएं ; राज्य लोक सेवा आयोग ।

42. राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन ।

43. राज्य का लोक ऋण ।

44. निखात निधि ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 11, 19 और 20 को लोप किया गया ।
[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 28 द्वारा "प्रविष्टि 52" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रविष्टि 52" का लोप किया गया ।
[4] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * *

21. Fisheries.

22. Courts of wards subject to the provisions of entry 34 of List I; encumbered and attached estates.

23. Regulation of mines and mineral development subject to the provisions of List I with respect to regulation and development under the control of the Union.

24. Industries subject to the provisions of [2][entries 7 and 52] of List I.

25. Gas and gas-works.

26. Trade and commerce within the State subject to the provisions of entry 33 of List III.

27. Production, supply and distribution of goods subject to the provisions of entry 33 of List III.

28. Markets and fairs.

[3]* * * * *

30. Money-lending and money-lenders; relief of agricultural indebtedness.

31. Inns and inn-keepers.

32. Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies.

33. Theatres and dramatic performances; cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I; sports, entertainments and amusements.

34. Betting and gambling.

35. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the State.

[4]* * * * *

37. Elections to the Legislature of the State subject to the provisions of any law made by Parliament.

38. Salaries and allowances of members of the Legislature of the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof.

39. Powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof, and, if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the Legislature of the State.

40. Salaries and allowances of Ministers for the State.

41. State public services; State Public Service Commission.

42. State pensions, that is to say, pensions payable by the State or out of the Consolidated Fund of the State.

43. Public debt of the State.

44. Treasure trove.

---

[1] Entries 19, 20 and 36 omitted by the Constitution (Forty–second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).
[2] Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 28, for "entry 52".
[3] Entry 29 omitted by the Constitution (Forty –second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).
[4] Entry 36 omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 26.

45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्यसंक्रामण है ।

46. कृषि आय पर कर ।

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।

48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क ।

49. भूमि और भवनों पर कर ।

50. संसद् द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर ।

51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क--

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर ;

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ,

किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निमिर्तियां नहीं हैं जिनमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है ।

52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर ।

53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर ।

[1][54. सूची 1 की प्रविष्टि 92क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर।]

55. समाचारपत्रों में प्रकाशित [2][और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों] से भिन्न विज्ञापनों पर कर ।

56. सड़कों या अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर ।

57. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं ।

58. जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर ।

59. पथकर ।

60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर ।

61. प्रतिव्यक्ति कर ।

62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर कर है ।

63. स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर ।

64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।

65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ।

66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

[1] संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 54 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

45. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights, and alienation of revenues.

46. Taxes on agricultural income.

47. Duties in respect of succession to agricultural land.

48. Estate duty in respect of agricultural land.

49. Taxes on lands and buildings.

50. Taxes on mineral rights subject to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development.

51. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the State and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India:—

(a) alcoholic liquors for human consumption;

(b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics,

but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

52. Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.

53. Taxes on the consumption or sale of electricity.

[1][54. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject to the provisions of entry 92A of List I.]

55. Taxes on advertisements other than advertisements published in the newspapers [2][and advertisements broadcast by radio or television].

56. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways.

57. Taxes on vehicles, whether mechanically propelled or not, suitable for use on roads, including tramcars subject to the provisions of entry 35 of List III.

58. Taxes on animals and boats.

59. Tolls.

60. Taxes on professions, trades, callings and employments.

61. Capitation taxes.

62. Taxes on luxuries, including taxes on entertainments, amusements, betting and gambling.

63. Rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of List I with regard to rates of stamp duty.

64. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

65. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

66. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

---

[1] Subs. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2, for entry 54.

[2] Ins. by the Constitution (Forty–second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

सूची 3--समवर्ती सूची

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किन्तु इसके अंतर्गत सूची 1 या सूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है ।

2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं ।

3. किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति ।

4. बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।

5. विवाह और विवाह-विच्छेद ; शिशु और अवयस्क ; दत्तक-ग्रहण ; विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन ; वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे ।

6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण ; विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ।

7. संविदाएं जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं ।

8. अनुयोज्य दोष ।

9. शोधन अक्षमता और दिवाला ।

10. न्यास और न्यासी ।

11. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी ।

[1][11क. न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन ।]

12. साक्ष्य और शपथ; विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता ।

13. सिविल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम् ।

14. न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है ।

15. आहिंडन ; यायावरी और प्रव्राजी जनजातियां ।

16. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान हैं ।

17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।

1[17क. वन ।

17ख. वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण।]

18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण ।

19. अफीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

List III—Concurrent List

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power.

2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution.

3. Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.

4. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in entry 3 of this List.

5. Marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this Constitution subject to their personal law.

6. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

7. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage, and other special forms of contracts, but not including contracts relating to agricultural land.

8. Actionable wrongs.

9. Bankruptcy and insolvency.

10. Trust and Trustees.

11. Administrators-general and official trustees.

[1][11A. Administration of Justice; constitution and organisation of all courts, except the Supreme Court and the High Courts.]

12. Evidence and oaths; recognition of laws, public acts and records, and judicial proceedings.

13. Civil procedure, including all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of this Constitution, limitation and arbitration.

14. Contempt of court, but not including contempt of the Supreme Court.

15. Vagrancy; nomadic and migratory tribes.

16. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficients.

17. Prevention of cruelty to animals.

[1][17A. Forests.

17B. Protection of wild animals and birds.]

18. Adulteration of foodstuffs and other goods.

19. Drugs and poisons, subject to the provisions of entry 59 of List I with respect to opium.

---

[1] Ins. by the Constitution (Forty–second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

20. आर्थिक और सामाजिक योजना ।

[1][20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ।]

21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास ।

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद ।

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी ।

24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं ।

[2][25. सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं ; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।]

26. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां ।

27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।

28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं ।

29. मानवों, जीवजंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है ।

31. संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन ।

32. राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।

[3][33. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं,

(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं,

(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और

(ङ) कच्चे जूट का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।]

[1][33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है ।]

34. कीमत नियंत्रण ।

35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है ।

36. कारखाने ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

20. Economic and social planning.

[1] [20A. Population control and family planning.]

21. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.

22. Trade unions; industrial and labour disputes.

23. Social security and social insurance; employment and unemployment.

24. Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits.

[1][25. Education, including technical education, medical education and universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I; vocational and technical training of labour.]

26. Legal, medical and other professions.

27. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan.

28. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions.

29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.

30. Vital statistics including registration of births and deaths.

31. Ports other than those declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports.

32. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways, and the carriage of passengers and goods on inland waterways subject to the provisions of List I with respect to national waterways.

[2][33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—

(*a*) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;

(*b*) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;

(*c*) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;

(*d*) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed; and

(*e*) raw jute.]

[3] [33A. Weights and measures except establishment of standards.]

34. Price control.

35. Mechanically propelled vehicles including the principles on which taxes on such vehicles are to be levied.

36. Factories

[1] Subs. by s. 57, *ibid*., for entry 25 (w.e.f. 3-1-1977).
[2] Subs. by the Constitution (Third Amendment) Act, 1955, s. 2, for entry 33.
[3] Ins. by the Constitution (Forty –second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

37. बायलर ।

38. विद्युत ।

39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।

40.[1][संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के [1][घोषित] पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।

41. ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए ।

[2][42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण ।]

43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं ।

44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं हैं ।

45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय् के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े ।

46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ।

47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

37. Boilers.

38. Electricity.

39. Newspapers, books and printing presses.

40. Archaeological sites and remains other than those [1][declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.

41. Custody, management and disposal of property (including agricultural land) declared by law to be evacuee property.

[2][42. Acquisition and requisitioning of property.]

43. Recovery in a State of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land-revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

44. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

45. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in List II or List III.

46. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

47. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

---

[1] Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for “declared by Parliament by law”.
[2] Subs. by s. 26, *ibid*., for entry 42.